UPAU010048772022

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–प्रथम, औरैया

प्रोबेट संख्या–**68 सन 2022**

राम सिंह बनाम रामस्वरूप आदि

दिनांकः–27.05.2025 लंच बाद

1. पत्रावली लंच बाद पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर न्यायालय में प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित एवं विपक्षी संख्या1 के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को प्रार्थना पत्र –27 ग पर सुना गया।

2. प्रार्थी राम सिंह की ओर से विपक्षी संख्या 2 व 3 पर प्रकाशन कराया जाकर पैरवी पूर्ण हेतु प्रार्थनापत्र– 27 ग प्रस्तुत किया गया है।

3. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र– 27 ग न्यायालय के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी प्रोबेट उपरोक्त में वादी है एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 भी पैरवी हेतु राष्ट्रीय सहारा दैनिक पेपर में दिसम्बर 22 सन 2024 में प्रकाशन कर दिया है जिसकी प्रति संख्या 2 व 3 को पूर्ण जानकारी है। इसके बावजूद वह न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं आ रहे है। प्रति संख्या 2 व 3 पर पैरवी पूर्ण माना जाना आवश्यक है। अतः जरिए प्रकाशन प्रति संख्या 2 व 3 पर पैरवी पूर्ण माने जाने हेतु आदेश करने का अनुरोध किया गया है

4. पत्रावली का परिशीलन किया गया तथा विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

5. **सिविल प्रक्रिया संहिंता, 1908 के आदेश 5 नियम 20** में यह प्रावधान दिया गया है कि **प्रतिस्थापित तामील (1)** जहाँ न्यायालय का समाधान हो जाता है कि यह विश्वास करने के लिए कारण है कि प्रतिवादी इस प्रयोजन से कि उस पर तामील न होने पाये, सामने आने से बचता है या समन की तामील मामूली प्रकार से किसी अन्य कारण से नहीं की जा सकती वहां न्यायालय आदेश देगा कि समन की तामील उसकी एक प्रति न्याय–सदन के किसी सहज दृश्य स्थान में लगाकर और (यदि ऐसा कोई गृह हो) तो उस गृह के, जिसमें प्रतिवादी का अन्तिम बार निवास करना या कारबार करना या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करना ज्ञात है, किसी सहज दृश्य भाग पर भी लगाकर या ऐसी अन्य रीति से, जो न्यायालय ठीक समझे, की जाए।

2[(1–क) जहां उपनियम (1) के अधीन कार्य करने वाला न्यायालय समाचार पत्र में विज्ञापन द्वारा तामील का आदेश करता है वहां वह समाचार–पत्र ऐसा दैनिक समाचार पत्र होगा जिसका परिचालन उस स्थानीय क्षेत्र में होता है, जिसमें प्रतिवादी का अन्तिम बार वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करना या कारबार करना या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करना ज्ञात है।]

6. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी जो वादी है ने प्रार्थनापत्र 27 ग न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना प्रस्तुत करते हुये प्रेषित किया है कि विपक्षी संख्या 2 व 3 पर तामील हेतु समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाशन कराया गया है। विपक्षी संख्या 1 के

Digitally signed by Parul Jain
Date: 2025.05.27 08:48:02 IST
Reason: Document Owner
Location: Additional District and Sessions Court-1, Auraiya

अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र 27 ग पर कोई आपत्ति नहीं दी गयी है। **सिविल प्रक्रिया संहिंता, 1908 के आदेश 5 नियम 20 (2)** में यह प्रावधान दिया गया है कि न्यायालय के आदेश द्वारा प्रतिस्थापित तामील इस प्रकार प्रभावी होगी वह स्वयं प्रतिवादी पर की गयी हो। अतः यह न्यायालय न्यायहित में प्रार्थनापत्र 27 ग स्वीकार करता है तथा प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 2 व 3 पर जरिए प्रकाशन राष्ट्रीय सहारा समाचार पत्र पैरवी पूर्ण मानी जाती है तथा विपक्षी संख्या 2 व 3 पर प्रतिस्थापित तामील इस प्रकार से प्रभावी होगी जैसे वह स्वयं प्रतिवादी पर की गयी हो।

7. उपरोक्त चर्चा के आधार पर इस न्यायालय का मत है कि प्रार्थना पत्र 27 ग न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी राम सिंह की ओर से **प्रोबेट संख्या–68 सन 2022** में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 27 ग, (सौ रूपये) 100/– रूपये के हर्जे पर न्याय हित में स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी को विपक्षी संख्या 2 व 3 पर नोटिस की तामील पर्याप्त मानी जाती है। पत्रावली दिनांक 10.07.2025 को सुनवाई हेतु पेश हो।

दिनांक–27.05.2025

(पारूल जैन)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–प्रथम
कक्ष सं०–1, औरैया।
जे0 ओ 0 कोड–यू0 पी02391